


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत	न्याया0 संभागीय आयुक्त	मुकाम	कोटा
इन्द्राबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि मोनलाल माली नि0 ग्राम देवली माझी तहसील कनवास जिला कोटा आदि		बनाम	नगर विकास न्यास कोटा वगेरा
किस्म मुकदमा	अपील धारा 90-ए सपठित धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि01956	नं. 18	2024

जिला- कोटा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4.3.2024	<p>अपीलार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक श्री सजय पाटोदी के अपील, प्राधिकृत अधिकारी उप सचिव द्वितीय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पारित आदेश संख्या एफ-15/कृ.भू.रू./90-ए/2019/491 दिनांक 25.10.2019 से व्यथित होकर रेस्पो0 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रा0 बहस एडमिशन की स्टेज पर जेरकार है। अपीलार्थीगण के अभिभाषक श्री सजय पाटोदी ने उपस्थित होकर प्रकरण में नोट प्रेस करते हुये जाहिर किया कि वह अपील को ओर आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः हस्तगत अपील प्रकरण इसी स्टेज पर नोट प्रेस अभिभाषक अपीलार्थीगण में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">             ( उर्मिला राजोरिया )            संभागीय आयुक्त            कोटा         </p>	